अभिरुचि की अभिव्यक्ति

नामांकन के लिए पंजीकरण - भारत सीसीएम-सीएसओ/प्रमुख जनसंख्या/एचआईवी/एड्स, टीबी और मलेरिया के साथ रहने वाले या पहले रहने वाले लोग (2022-2025)

जारी करने की तिथि :- 14th July'2022

आवेदन की अंतिम तिथि :- 28th July, 2022

पार्श्वभूमि : भारत देश समन्वय तंत्र (आई-सीसीएम) की स्थापना स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जीएफएटीएम वित्त पोषण सहायता के तहत देश में एचआईवी/एड्स, टीबी और मलेरिया से लड़ने के उपायों को मजबूत करने के लक्ष्य के साथ की गई थी। यह स्वैच्छिक आधार पर संचालित होता है और सरकारी, गैर सरकारी, सीएसओ, समुदायों, निजी क्षेत्र, अकादमिक और विकास भागीदारों की बहु-हितधारक भागीदारी का प्रतिनिधित्व करता है। भारत सीसीएम की भूमिका राष्ट्रीय प्रतिक्रिया के भीतर धन का उचित समन्वय सुनिश्चित करना, राष्ट्रीय निरीक्षण और अनुदान कार्यान्वयन का स्वामित्व प्रदान करना है। भारत-सीसीएम की मुख्य जिम्मेदारियों में से एक वैश्विक फंड पात्रता आवश्यकताओं और न्यूनतम मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना है। भारत सीसीएम के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया वेबसाइट: **http://india-ccm.in** देखें ।

उद्देश्य:

इस अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) का उद्देश्य 2022 -2025 की अवधि के लिए भारत सीसीएम का हिस्सा बनने के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले सीएसओ और सामुदायिक प्रतिनिधियों, निजी क्षेत्र और शिक्षाविदों का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है।

प्रक्रिया: शैक्षणिक संस्थान/निजी संगठन का प्रतिनिधित्व करने वाले भारत-सीसीएम सदस्यों को उस संगठन द्वारा नामित किया जाएगा। चयन प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संचालित करने और विस्तार से प्रलेखित करने की आवश्यकता है। सदस्यों को दस्तावेज़ में वर्णित पात्रता मानदंडों को पूरा करने की आवश्यकता है।

सिविल सोसाइटी (सीएसओ/एनजीओ और आस्था आधारित संगठनों, प्रमुख प्रभावित आबादी और एचआईवी/एड्स, टीबी और मलेरिया से पीड़ित लोगों के नामांकन को उन निर्वाचन क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोगों द्वारा अनिवार्य किया जाना चाहिए जिनका वे भारत सीसीएम के भीतर प्रतिनिधित्व करेंगे। उम्मीदवारों के अंतिम चयन का उनके निर्वाचन क्षेत्र द्वारा समर्थन किया जाना आवश्यक है। नामांकित व्यक्ति की पहचान करने की पूरी प्रक्रिया को समुदाय द्वारा विस्तार से प्रलेखित किया जाना चाहिए और आवेदन के साथ जमा किया जाना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो उसी के लिए एक तटस्थ तीसरे पक्ष को काम पर रखने पर विचार किया जा सकता है।

एक बार चुने जाने के बाद सभी प्रतिनिधियों/संगठनों को 3 साल की अवधि के लिए भारत-सीसीएम का सक्रिय सदस्य होना होगा और एक वर्ष में कम से कम चार बैठकों में भाग लेना होगा।

प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र प्राथमिक सदस्य की अनुपस्थिति के दौरान अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक विकल्प को भी नामित करेगा। प्राथमिक सदस्य के रूप में पात्रता मानदंड के आधार पर वैकल्पिक सदस्य का भी चयन किया जाएगा।

इच्छुक उम्मीदवारों द्वारा अपना आवेदन ईमेल के माध्यम से **28th July, 2022** तक **indiaccm2021@gmail.com** पर भेजा जा सकता है तथा उम्मीदवारों द्वारा विषय पंक्ति में इंगित किया जाना चाहिए कि वे किस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं।

संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों की सदस्यता नीचे दी गई तालिका में प्रस्तुत की गई है:

प्रति निर्वाचन क्षेत्र सीसीएम के भीतर सीटों की संख्या				
	एचआईवी	टीबी	मलेरिया	कुल
नागरिक समाज संगठन (एनजीओ/सीबीओ/विश्वास आधारित संगठनों सहित)	1	1	1	3
प्रमुख प्रभावित आबादी	2	1	1	4
टीबी और एचआईवी के साथ रहने वाले लोग और मलेरिया के पिछले संक्रमण वाले लोग	1	1	1	3

पात्रता मापदंड:

सभी मनोनीत सदस्यों/शैक्षणिक संस्थान/निजी संगठन से विकल्प:

1. ग्लोबल फंड ग्रांट्स का प्रिंसिपल या सब-प्राप्तकर्ता न हो या भारत में सक्रिय ग्रांट के साथ किसी पीआर/एसआर के लिए काम कर रहा हो
2. कम से कम 5 वर्षों के लिए भारत में टीबी/एचआईवी/मलेरिया के किसी एक या तीनों क्षेत्रों में काम करने का अनुभव प्रदर्शित किया हो।
3. भारत-सीसीएम का प्रतिनिधित्व करने की उनकी क्षमता का प्रमाण प्रदान करें न कि उनके अपने संगठन या नेटवर्क का
4. एक विस्तृत समझ प्रदान करें कि नामांकित व्यक्ति समुदाय से सीसीएम और सीसीएम से समुदाय तक संचार तंत्र कैसे स्थापित करेगा

5. भारत-सीसीएम के हितों के टकराव की घोषणा पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार रहें।

6. नीति आयोग के दर्पण पोर्टल में पंजीकृत हों और अपने पंजीकरण प्रमाणपत्र की एक प्रति जमा करें

(केवल सीबीओ/एनजीओ के लिए मान्य)

भारत सीसीएम पुनर्गठन के लिए स्कोर शीट

पात्रता मापदंड	प्राप्तांक
ग्लोबल फंड ग्रांट्स का प्रिंसिपल या उप प्राप्तकर्ता न हो या भारत में सक्रिय अनुदान के साथ किसी पीआर/एसआर के लिए काम कर रहा हो	0
कम से कम 5 वर्षों के लिए एचआईवी/एड्स/मलेरिया/टीबी के एक या सभी तीन क्षेत्रों के साथ मौजूदा जुड़ाव का प्रदर्शन किया	30
भारत-सीसीएम का प्रतिनिधित्व करने की उनकी क्षमता का प्रदर्शन	30
समुदाय और सीसीएम के बीच संचार चैनल स्थापित करके समुदाय के सदस्यों को शामिल करने की क्षमता	30
भारत-सीसीएम के हितों के टकराव की घोषणा पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार रहें।	10
नीति आयोग के दर्पण पोर्टल के साथ पंजीकरण (केवल सीएसओ/एनजीओ के लिए मान्य)	0
प्राप्त कुल अंक	**100**

अंतिम चयन इस उद्देश्य के लिए गठित चुनाव समिति की सिफारिशों पर आधारित होगा।

सीसीएम के लिए मनोनीत की जाने वाली रुचि की अभिव्यक्ति

प्रस्तुत करने के लिए प्रारूप

निर्वाचन क्षेत्र जिसका आप प्रतिनिधित्व करेंगे	सीएसओ/पीएलडब्ल्यूडी/केपी/नेटवर्क
आवेदन किस रोग श्रेणी के लिए	मलेरिया/एचआईवी/टीबी
उम्मीदवार का नाम	
उस संगठन/नेटवर्क का नाम जिसके साथ उम्मीदवार कार्यरत/संबद्ध है	
संगठन/नेटवर्क में धारित वर्तमान पद	
फोन नंबर और ईमेल आईडी के साथ संपर्क विवरण	
बताएं कि क्या आवेदन सीएसओ पद के लिए है	हां/ नहीं
यदि हां, तो सीएसओ से अनुरोध है कि नीति आयोग के दर्पण पोर्टल से प्राप्त पंजीकरण प्रमाण पत्र और तीन साल की वार्षिक रिपोर्ट संलग्न करें।	
कम से कम 5 वर्षों के लिए भारत में टीबी/एचआईवी/मलेरिया के किसी एक या तीनों क्षेत्रों में काम करने का प्रदर्शनकारी अनुभव प्रदान करें।	
भारत में टीबी/एचआईवी/मलेरिया के किसी एक या तीनों क्षेत्रों में संबंधित परियोजना/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का विवरण दें।	
क्या आप वर्तमान में भारत में टीबी/एचआईवी/मलेरिया के तीन क्षेत्रों में से किसी के लिए अनुदान या दाता निधि प्राप्त कर रहे हैं? यदि हाँ तो किससे?	
वर्णन करें कि आप अपनी व्यक्तिगत क्षमता में भारत-सीसीएम में सीएसओ/केपी/पीएलडब्ल्यूडी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए सबसे उपयुक्त कैसे हैं (आपका संगठन या नेटवर्क नहीं)	
एक विस्तृत समझ प्रदान करें कि नामांकित व्यक्ति समुदाय से सीसीएम और सीसीएम से समुदाय तक संचार तंत्र कैसे स्थापित करेगा	
यदि चुना जाता है तो क्या आप भारत के हितों के टकराव की घोषणा सीसीएम पर हस्ताक्षर करने के इच्छुक होंगे।	हां/ नहीं